इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 जून 2025—ज्येष्ठ 30, शक 1947

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम विनियम

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग
पंचम् तल, मेट्रो प्लाजा, ई-5, अरेरा कालोनी, बिट्टन मार्केट, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 जून 2025

क्रमांक 1142/मप्रविनिआ/2025 – विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181 की उप–धारा(1) सहपठित धारा 91 की उप–धारा(4) में प्रदत्त तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी समस्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, **मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (परामर्शी की नियुक्ति) (पुनरीक्षण–प्रथम) विनियम, 2009, {आरजी–6 (I), वर्ष 2009}**'' जिन्हें एतद् पश्चात् **''मूल विनियम''** निर्दिष्ट किया गया है, का संशोधन करने हेतु निम्न विनियम बनाता है, अर्थात् :

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (परामर्शी की नियुक्ति) (पुनरीक्षण–प्रथम) विनियम, 2009 में सातवां संशोधन

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :–**

1.1 ये विनियम "**मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (परामर्शी की नियुक्ति) (पुनरीक्षण–प्रथम) (सातवां संशोधन) विनियम, 2009 {एआरजी–6 (I) (vii), वर्ष 2025}**" कहलाएंगे।

1.2 ये विनियम दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से प्रभावशील होंगे।

2. **मूल विनियम के विनियम 5 में संशोधन :–**

2.1 **मूल विनियम के विनियम 5 में, विनियम 5 (1)(ख) के स्थान पर विनियम 5 (1)(ख) निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :**

"5(1)(ख)सलाहकार, वरिष्ठ परामर्शी, परामर्शी, अध्येता (Research Fellow) की न्यूनतम योग्यता तथा न्यूनतम अनुभव निम्नानुसार होंगे :

शास्त्र विद्या (Discipline)	न्यूनतम योग्यता	वांछित न्यूनतम अनुभव वर्ष के			
		सलाहकार (Advisor)	वरिष्ठ परामर्शी (Senior Consultant)	परामर्शी (Consultant)	अध्येता (Research Fellow)
अर्थशास्त्र (Economics)	अर्थशास्त्र/ऊर्जा अर्थशास्त्र विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष	15	07	03	आवश्यक नहीं
अभियांत्रिकी (Engineering)	विद्युत/मेकेनिकल/कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी विषय में अभियांत्रिकी स्नातक उपाधि या समकक्ष	15	07	03	आवश्यक नहीं
वित्त एवं प्रशासन (Finance & Administration)	सी.ए./एमबीए (वित्त)/एमबीए (मानव संसाधन/कार्मिक) सीडब्ल्यूए/सीएफए/वाणिज्य शास्त्र विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष	15	07	03	आवश्यक नहीं
विधि (Law)	विधि विषय में स्नातक	15	07	03	आवश्यक नहीं

उपरोक्त शास्त्र विद्याओं (Disciplines) में अधिकतम 8 अध्येताओं (Research Fellows) को नियोजित किया जा सकेगा तथा प्रत्येक शास्त्र विद्या में नियोजित की जाने संबंधी संख्या का निर्णय आयोग द्वारा लिया जाएगा।

2.2 उपरोक्त विनियम में, उप–विनियम 5(3) के पश्चात् एक नवीन उप–विनियम 5(3) निम्नानुसार अन्तर्स्थापित किया जाए, अर्थात् :

"5(3) आयोग के अन्तर्गत अध्येता (Research Fellows) के रूप में अनुभव पर विचार अन्य मानदण्डों के परिपूर्ण होने तथा वैयक्तिक परामर्शी के रूप में अभ्यर्थी की नियुक्ति के अध्यधीन रहते हुए किया जाएगा।"

3. **मूल विनियम के विनियम 6 में संशोधन :–**

3.1 मूल विनियम के विनियम 6 में, विनियम 6.1 के स्थान पर विनियम 6.1 निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :

"6.1 मासिक आधार पर नियोजित वैयक्तिक सलाहकार, वरिष्ठ परामर्शी, परामर्शी तथा अध्येताओं के बारे में उन्हें समेकित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा, जैसा कि आयोग द्वारा समय–समय पर इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा जो निम्न राशि से अधिक देय न होगा :

परामर्शी का प्रकार	**भारतीय रूपये (INR) में देय उच्चतम राशि**
सलाहकार (Advisor)	1.50 लाख
वरिष्ठ परामर्शी (Senior Consultant)	1.25 लाख
परामर्शी (Consultant)	0.80 लाख
अध्येता (Research Fellow)	0.60 लाख*

* प्रथम प्रवेश (induction) पर अध्येता (Research Fellow) हेतु समेकित पारिश्रमिक की राशि, निम्न शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, रू. 40,000/– होगी :–

एक. अध्येताओं को प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिये प्रवेश दिया जाएगा तथा उनके कार्यकाल का विस्तार उनके द्वारा प्रस्तुत प्रदर्शन तथा मप्रविनिआ की आवश्यकताओं के आधार पर अधिकतम 5 वर्षों के लिये किया जा सकेगा।

दो. यदि आयोग द्वारा तत्संबंधी वर्षों के दौरान अनुसंधान कार्य में अध्येता का योगदान संतोषजनक पाया जाता हो तो पारिश्रमिक में वृद्धि करते हुए द्वितीय वर्ष में समेकित राशि रू 44,000/–, तृतीय वर्ष में रू 48,000/–, चतुर्थ वर्ष में रू 52,000/– तथा पंचम वर्ष में रू 56,000/– निर्धारित की जाएगी।

तीन. अन्य निबन्धन तथा शर्तें वे होंगी जैसा कि सेवा में प्रवेश के समय जारी आदेश के अन्तर्गत निर्धारित की जाएं।"

3.2 **उपरोक्त विनियम में, विनियम 6(2) के स्थान पर विनियम 6(2) निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :**

"6(2) दैनिक आधार पर/प्रति सम्मति (advice) आधार पर सेवा प्रस्तुति हेतु प्रति दिवस/प्रति सम्मति पारिश्रमिक, इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए देय होगा कि दैनिक दर/पारिश्रमिक पर एक माह के दौरान इनकी संख्या 10 कार्यकारी दिवस/सम्मतियों तथा एक वर्ष के दौरान 90 कार्यकारी दिवस /सम्मतियों से अधिक न होगी :

श्रेणी (Category)	**पारिश्रमिक प्रति दिवस/प्रति सम्मति (रूपये में)**
सलाहकार (Advisor)	5,000/-
वरिष्ठ परामर्शी (Senior Consultant)	3,500/-
परामर्शी (Consultant)	2,500/-

"

आयोग के आदेशानुसार,
उमाकांत पाण्डा,
सचिव.